न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 23/15

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 पवन कुमार शर्मा पुत्र नथमल जाति ब्राह्मण निवासी दयानंद कॉलोनी लाडनू फर्म:– गायत्री ट्रेडर्स बस स्टेण्ड लाडनूं। 2 रमेश सिंह रावत क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर आफ हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लि. एस.पी. 39–40 इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा चौमूं जयपुर फर्म:– हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लि. एस.पी. 39–40 इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा चौमूं जयपुर 3 हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लि. एस.पी. 39–40 इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा चौमूं जयपुर जरिये निर्माता नोमिनी रमेश सिंह रावत क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर आफ हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लि. एस.पी. 39–40 इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा चौमूं जयपुर

आदेश दिनांक :19.04.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 19-05-2014 को मैसर्स गायत्री ट्रेडर्स बस स्टेण्ड लाडनूं जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ Sweetended Carbonated Water (Thums Up Brand) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 617 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/283/एक्ट/2014/301 दिनांक 20.06.2014 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ Sweetended Carbonated Water (Thums Up Brand) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पवन कुमार शर्मा पुत्र नथमल जाति ब्राह्मण निवासी दयानंद कॉलोनी लाडनू, रमेश सिंह रावत क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर आफ हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लि. एस.पी. 39–40 इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा चौमूं जयपुर तथा हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लि. एस.पी. 39–40 इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा चौमूं जयपुर जरिये निर्माता नोमिनी रमेश सिंह रावत क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर आफ हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लि. एस.पी. 39–40 इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा चौमूं जयपुर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2.खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 18.03.2015 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 27.05.2015 को श्री मोहम्मद शाहिद सिलावट अधिवक्ता ने तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से दिनांक 30.06.2016 को श्री मेघराज सोनी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से दिनांक 26.06.2015 को तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से दिनांक 30.06.2016 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। उक्त अधिवक्ताओं ने शपथ पत्र पेश कर अपने जवाब में बताया कि अप्रार्थीगण द्वारा अपेक्षित एवं वांछित लेवलिंग में सुधार कर लिये जाने के कारण आपेक्षित लेबलिंग का दोष गौण एवं अर्थहीन हो जाने से शास्ति लगाया जाना न्याय सम्मत नहीं हैं। इसलिए इस प्रकरण की कार्यवाही भी उक्तानुसार समाप्त किया जाना कानून सम्मत है। प्रकरण में सहानुभूति पूर्व विचार किये जाने का निवेदन किया गया।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/283/एक्ट/2014/301 दिनांक 20.06.2014 के अनुसार खाद्य पदार्थ Sweetended Carbonated Water (Thums Up Brand) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ। जिससे अप्रार्थी संख्या 01 पवन कुमार शर्मा पुत्र नथमल जाति ब्राह्मण निवासी दयानंद कॉलोनी लाडनू अप्रार्थी संख्या 02 रमेश सिंह रावत क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर आफ हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लि. एस.पी. 39–40 इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा चौमूं जयपुर तथा अप्रार्थी संख्या 03 हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लि. एस.पी. 39–40 इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा चौमूं जयपुर जरिये निर्माता नोमिनी रमेश सिंह रावत क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर आफ हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लि. एस.पी. 39–40 इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा चौमूं जयपुर पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)